3

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

मुकदमा नं0 अपील – 4/2016

तारीख रजू – 13.07.2016

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर0ए0एस0)

उनवान

मनोहरी पुत्र मीठ्या जाति मीना निवासी अजीजपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली –अपीलान्ट

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील टोडाभीम –रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं0 181 दिनांक 25.01.1969, संख्या 4 दिनांक 31.12.1955 ग्राम अजीजपुर के संबंध में

उपस्थिति–

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट –पक्ष अपीलान्ट

उपजिला कलेक्टर करौली) राज0

निर्णय दिनांक 11.02.2017

संक्षेप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि भूमि गत खसरा नं0 700/2, 700/2, 51, 596, 597 रकवा 4 कुल रकवा 5 वीघा 7 बिस्वा ग्राम अजीजपुर के संबंध मे गत खातेदार रामफूल बल्द श्योलाल के स्थान पर विरासत के आधार पर मनोहरी पुत्र रामफूल मीना के नाम नामान्तकरण सं0 188 खुला है तथा गत खसरा नं0 557, 99 कुल रकवा 3 वीघा 3 बिस्वा ग्राम अजीजपुर के संबध मे गत खातेदार रामफूल बल्द श्योलाल के स्थान पर विरासत के आधार पर मनोहरी भान्जा रामफूल के नाम खुला है जिसका नामान्तकरण सं0 4 है। गत खसरा नम्बरान के हाल खसरा नं0 534 रकवा 0.25 हेक्टयर, 1039 रकवा 0.54 हेक्टयर, 1040 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1057 रकवा 0.03 हेक्टयर, 1058 रकवा 0.06 हेक्टयर, 1293 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1295 रकवा 0.29 हेक्टयर, 1374 रकवा 0.10 हेक्टयर, 99 रकवा 0.13 हेक्टयर, 104 रकवा 0.10 हेक्टयर, 889 रकवा 0.02 हेक्टयर कायम किये है तथा मौजूदा रिकार्ड मे खातेदारी मनोहरी पुत्र रामफूल व मनोहरी भान्जा रामफूल के नाम दर्ज है। अपीलान्ट व श्योलाल का

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

4

सजरा निम्न है:– श्योलाल का पुत्र रामफूल था वह लाऔलाद फौत हो गया है तथा श्योलाल की बेबा चावंती थी चावंती के फूलवती बेटी थी और फूलवती के मनोहरी बेटा है जो मौजूदा है इस प्रकार रामफूल की जमीन का एक मात्र वारिस मनोहरी है, मनोहरी को रामफूल या उसकी बेबा चावती ने कभी गोद नही लिया तथा नाहि गोद के संबंध मे रिकार्ड है। इस प्रकार रामफूल की मृत्यु के बाद विरासत का जो नामान्तकरण खुला है उसमे मनोहरी पुत्र मीठ्या के नाम खुलना चाहिये था मनोहरी भान्जा रामफूल, मनोहरी पुत्र रामफूल के नाम गलत व अवैध दर्ज किया है। मनोहरी के पिता का नाम मीठ्या है तथा ग्राम अजीजपुर का निवासी है। अपीलान्ट को इस गलत नामान्तकरण के संबंध मे जानकारी नही थी राजस्व अभियान 2016 न्याय आपके द्वार मे तहसीलदार टोडाभीम से दिनांक 04. 07.2016 को निवेदन किया कि हमारे रिकार्ड जमाबंदी मे बल्दियत सही दर्ज कर दो इस पर उन्होने कहा कि नकल लेकर कार्यवाही करो तभी तुम्हारे नाम दुरस्ती हो सकती है इसलिये यह अपील प्रस्तुत है तथा रिलिफ चाही है कि अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 181 दिनांक 25.01.1969, नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 31.12.1955 ग्राम अजीजपुर के संबंध में निरस्त किया जाकर भूमि स्थित ग्राम अजीजपुर तहसील टोडाभीम मे भूमि हाल खसरा नं0 534 रकवा 0.25 हेक्टयर, 1039 रकवा 0.54 हेक्टयर, 1040 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1057 रकवा 0.03 हेक्टयर, 1058 रकवा 0.06 हेक्टयर, 1293 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1295 रकवा 0.29 हेक्टयर, 1374 रकवा 0.10 हेक्टयर कुल किता 08 कुल रकवा 1.35 हेक्टयर मे दर्ज नाम मनोहरी पुत्र रामफूल के स्थान पर मनोहरी पुत्र मीठ्या तथा 99 रकवा 0.13 हेक्टयर, 104 रकवा 0.10 हेक्टयर, 889 रकवा 0.02 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 0.25 हेक्टयर मे दर्ज नाम मनोहरी भान्जा रामफूल के स्थान पर मनोहरी पुत्र मीठ्या का नाम रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये तथा मूल नामान्तकरण जिला अभिलेख कार्यालय करौली से तलब किये गये जो पत्रावली मे शामिल है।

वकील अपीलान्ट ने अपील मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि विरासत का मामला मूल नामान्तकरण सं0 4 मे तय हो रहा है तथा सजरा बना हुआ है। नामान्तकरण सं0 4 मे रामफूल वल्द श्योलाल की उत्तराधिकार का नामान्तकरण मनोहरी भान्जा रामफूल मीना दर्ज है जो सही नही है जबकि उत्तराधिकार मे वल्दियत मीठ्या दर्ज होनी चाहिये तथा नामान्तकरण

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलेक्टर (करौली) राज०

Scanned by CamScanner

5

सं0 181 मे इसी ग्राम की भूमि मे रामफूल पुत्र श्योलाल का उत्तराधिकारी के संबंध मे नामान्तकरण मनोहरी पुत्र रामफूल के नाम दर्ज किया है जबकि विशेष विवरण मे उत्तराधिकारी लिखा है। उत्तराधिकारी मे मनोहरी की वल्दियत मीठ्या दर्ज होनी चाहिये, रामफूल का मनोहरी पुत्र नही है, भान्जा है जो अन्य नामान्तकरण से साबित है इस प्रकार दोनो ही नामान्तकरण मे वल्दियत सही दर्ज नही की है तथा वल्दियत सही दर्ज करने के संबंध मे यह अपील प्रस्तुत की गई है।

मैनें वकील अपीलान्ट की बहस सुनी तथा दोनो नामान्तकरण का अवलोकन किया। रामफूल पुत्र श्योपाल की उत्तराधिकारी के संबंध मे यह विरासत का नामान्तकरण खुला है तथा विरासत का सजरा भी नामान्तकरण मे बनाया गया है। उक्त सजरे से मनोहरी मीठ्या का पुत्र है जबकि मनोहरी पुत्र रामफूल, मनोहरी भान्जा रामफूल सही नाम दर्ज नही है वल्दियत मीठ्या दर्ज होनी चाहिये। अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं0 281 दिनांक 25.01.1969 तथा नामान्तकरण सं0 4 दिनांक 31.12.1955 ग्राम अजीजपुर निरस्त किया जाकर भूमि स्थित अजीजपुर तहसील टोडाभीम की भूमि खसरा नं0 534 रकवा 0.25 हेक्टयर, 1039 रकवा 0.54 हेक्टयर, 1040 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1057 रकवा 0.03 हेक्टयर, 1058 रकवा 0.06 हेक्टयर, 1293 रकवा 0.04 हेक्टयर, 1295 रकवा 0.29 हेक्टयर, 1374 रकवा 0.10 हेक्टयर कुल किता 08 कुल रकवा 1.35 हेक्टयर मे दर्ज नाम मनोहरी पुत्र रामफूल के स्थान पर मनोहरी पुत्र मीठ्या तथा 99 रकवा 0.13 हेक्टयर, 104 रकवा 0.10 हेक्टयर, 889 रकवा 0.02 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 0.25 हेक्टयर मे दर्ज नाम मनोहरी भान्जा रामफूल के स्थान पर मनोहरी पुत्र मीठ्या का नाम रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार टोडाभीम को प्रदान किया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जायें।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश आर्य)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
उपजिला कलक्टर, टोडाभीम

उपजिला कलेक्टर (करौली) राज0

Scanned by CamScanner